



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :- 69 / 2024

1. पूरण पुत्र मूलचन्द पोत्र नारायण बैरवा
 2. भंवर पुत्र पांचुराम पोत्र नारायण बैरवा
 3. प्रकाश पुत्र पांचुराम पोत्र नारायण बैरवा
 4. राजू पुत्र पांचुराम पोत्र नारायण बैरवा
 5. नितेश पुत्र पांचुराम पोत्र नारायण बैरवा
 6. कमलेश पुत्र सुवालाल पोत्र नारायण बैरवा
 7. गुल्लाराम पुत्र सुवालाल पोत्र नारायण बैरवा
 8. सत्यनारायण पुत्र सुवालाल पोत्र नारायण बैरवा
 9. कविता पुत्री सुवालाल पोत्री नारायण बैरवा
 10. पुष्पा पुत्री सुवालाल पोत्री नारायण बैरवा
 11. ललिता पुत्री सुवालाल पोत्री नारायण बैरवा
 12. हरिनारायण पुत्र नारायण बैरवा
- समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम्

1. ग्यारसा पुत्र रामचन्द्र पोत्र नारायण बैरवा
 2. ननगा पुत्र रामचन्द्र बैरवा पोत्र नारायण बैरवा
 3. प्रभू पुत्र रामचन्द्र पोत्र नारायण बैरवा
- समस्त निवासिगण ग्राम सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र दलाराम बैरवा निवासी ग्राम सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 5. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
- असल प्रतिवादीगण:—
7. लछमा पुत्री मूलचन्द पोत्री नारायण बैरवा पत्नी स्व0 बाबूलाल हाल निवासी बैरवा मोहल्ला, बाई जी की कोठी, जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
 8. सरजू पुत्री मूलचन्द पोत्री नारायण पत्नी ओमप्रकाश हाल निवासी बैरवा मोहल्ला, बडागुवाडा बस्ती रामगंज जयपुर।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण:—

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0 वादी
श्री राजेश कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

पर्चा डिक्री

दिनांक 04 / 11 / 2024

प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दायर किया होने पर विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 04 / 11 / 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण